न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 92/2016

1 श्रीमती मोहनी देवी आयु 77 वर्ष पत्नी

2 रामबाबु आयु 52 वर्ष पुत्र

3 हरिप्रसाद आयु 50 वर्ष पुत्र स्व. रामरिछपाल जाति ब्राह्मण पेशा खेती निवासी कुमास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 प्रदीप पुत्र स्व. शंकरलाल

2 अखीलेश पुत्र स्व. शंकरलाल

3 राजेश पुत्र स्व. शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुमावास तहसील व जिला झुन्झुनू।

4 मंगलचन्द पुत्र स्व. सुखाराम

5 फुलचन्द पुत्र स्व. सुखाराम

6 बनवारीलाल पुत्र स्व. सुखाराम

7 मोहनलाल पुत्र स्व. सुखाराम

जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 22 हाशमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

8 रामेदव पुत्र अमरू

9 श्रीमती गीतादेवी स्त्री रामचन्द्र

10 राजेश पुत्र स्व. रामचन्द्र

11 विनोद पुत्र स्व. रामचन्द्र

12 सुनील पुत्र स्व. रामचन्द्र

13 गिरधारी पुत्र स्व. अमरू

14 रतनी स्त्री जयराम

15 महावीर पुत्र स्व. जयराम व रतनी
16 सजना स्त्री विद्याधर
17 राजेश पुत्र विद्याधर
समस्त जाति निवासी वार्ड नम्बर 22 हाशमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

18 खैरूदीन पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
19 श्रीमती बतुलबानो पत्नी मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमीनगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
20 जरीना बानो पत्नी मुन्सीखां जाति मनीयार मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमीनगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
21 अनवर पुत्र जमालुदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
22 शब्बीर पुत्र जमालुदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
23 अब्दुल अजीज पुत्र नुरमोहम्म्द जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
24 जाकीर हुसैन पुत्र नुरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
25 श्रीमती सलमाबानो पत्नी अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
26 सलाउदीन पुत्र अलीम खां गहलोत जाति कायमखानी निवासी इमामनगर रोड़ नम्बर 2 व 3 के बीच झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
27 मन्जुर हुसैन पुत्र सलाउदीन गहलोत जाति कायमखानी मुसलमान निवासी इमाम नगर रोड़ नम्बर 2 व 3 के बीच झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
28 अयुब खां पुत्र अजमेरी खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

29 खुर्शीद पुत्र रसीद खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी इमाम नगर रोड नम्बर 3 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

30 शब्बीर पुत्र रसीद खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी इमाम नगर रोड़ नम्बर 3 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

31 नवाब अली पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

32 सफीक पुत्र रफीक चायल जाति मुसलमान निवासी इमामनगर रोड़ नम्बर 2 व 3 के बीच झुन्झुनू।

33 सांवरमल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जागिड़ निवासी बन्दुकियों का मोहल्ला झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

34 शैतान पुत्र घड़सीराम

35 शंकर पुत्र घड़सीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 22 हासमी नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

36 भागीरथ पुत्र मंगलचंद जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 22 हाशमीनगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

37 श्रीमती सुलोचना पुत्री रामरिछपाल पत्नी रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी उडसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

38 मु. सिलोचना पुत्री स्व. रामरिछपाल जाति ब्राह्मण निवासी कुमास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

39 श्रीमती पुष्पा आयु 64 साल पुत्री स्व. शंकरलाल पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण हाल निवासी मुख्य बाजार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

40 कुलदीप पुत्र उमाशंकर

41 सुभाष पुत्र उमांशकर

42 राकेश पुत्र उमाशंकर

43 राजेन्द्र पुत्र उमाशंकर

44 गुडी पुत्री उमाशंकर

45 चन्द्रकला स्त्री उमांशकर

46 बिमला स्त्री काशीलाल

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

47 रिषी पुत्र काशीलाल
48 रितु पुत्री काशीलाल
49 रेनु पुत्री काशीलाल
50 राजा पुत्र चिरंजीलाल
51 अंजु स्त्री अरविन्द
52 अनु पुत्र अरविन्द
53 पवन पुत्र रामनिरंजन
54 मुकेश पुत्र रामनिरंजन
55 मनोज पुत्र रामनिरंजन
56 आसा पुत्री रामनिरंजन
57 श्रीमती उमा पत्नी स्व. रामनिरंजन
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी कुमास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
58 उप पंजीयक झुन्झुनू।
59 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय डिकी दिनांक 22.02.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू दावा उनवानी प्रदीप आदि बनाम मंगलचंद दावा घोषणा, बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा दावा संख्या 124 / 2015

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः–29.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 124/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने अपीलार्थीगण एवं शेष रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्वयं ने 07.08.2015 को दावा उनवानी प्रदीप वगैरह बनाम मंगलचंद वगैरह बाबत घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 814 वर्तमान खसरा नम्बर 3174 लगायत 3182 रकबा 15.83 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 34 लगायत 57 को भिन्न भिन्न हिस्सो को खातेदार काश्तकार घोषित करना एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 33 व 58, 59 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा भूमि स्थानान्तरण नहीं करने व कब्जा प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 22.02.2016 को बिना किसी साक्ष्य के वादीगण का वाद बहक वादीगण एवं प्रतिवादीगण 35 से 45 के हक में डिक्री कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि मुतवादिया हाल खसरा नम्बर 3174 लगायत 3182 कस्बा झुन्झुनू की घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रतिवादीगण 35, 36, 37 ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी मोहनी देवी वगैरह बनाम मंगलचन्द वगैरह मु.नं. 264/2013 प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें तारीख पेशी 20.06.2016 नियत है। उक्त दावा में प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था वादीगण प्रदीप वगैरह तथा पुर्व प्रस्तुत दावा मोहनी देवी वगैरह अपने पुर्वज तथाकथित श्योलाल की खातेदारी की भूमि के कथन के साथ अलग–अलग दावा पेश किये है। विचारण न्यायालय ने वादीगण की साक्ष्य रिकार्ड नहीं की वादीगण ने विचारण न्यायालय में मुआवजा देकर अपने पूर्व दावे के वादीगण जो वर्तमान दावे में प्रतिवादीगण 35, 36, 37 है, के हक में धोखाधड़ी से डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 5 (1) सी.पी.सी के तहत पक्षकारों को अपने अधिकार बाबत सूचना नहीं दी तथा तुरन्त डिक्री की पालना करवाने के लिये अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे है। विचारण न्यायालय के समक्ष वकील उपस्थित नही हो रहे है। विचारण न्यायालय सभी पत्राावलियों के फर्द अहकाम पर स्टाम्प लगाकर तारीख पेशी बदली जा रही है। लेकिन विचारण न्यायालय ने पत्रावली बिना अपीलार्थीगण को नजदीक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पर सुने बगेर पत्रावली में निर्णय व डिक्री पारित कर गलती की है। विचारण न्यायालय ने दावे की प्लीडिंग को ही साक्ष्य मानकर वादीगण का दावा डिक्री कर दिया जबकि दावे की प्लीडिंग के अनुसार वादीगण की और से कही कोई मौखिक व कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादीगण ने दावे में कही भी सम्वत 1999 से सम्वत 2012 तक कभी भी भूमि काश्त नही की। कुल प्लींडिग कयासात पर आधारीत हैं वादीगण का न तो कभी जमाबन्दी में नाम आया न उनके हक में कोई खसरा गिरदावरी बनी। वादीगण ने दावे में अपनी आयु भी नहीं लिखी है। वादीगण कथित पुर्वज श्योलाल चौथी पीढ़ी में आते है। दावे में कुल प्लींडिग दावे के कथन बाबत उन्होंने कोई भी आधार पत्रावली पर पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

नहीं किया है। वादीगण प्रतिवादीगण/अपीलान्ट के विवाद ग्रस्त भूमि में कुए व विद्युत कनेक्शन व मकानात व कब्जा होना स्वीकार करते है। प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि स्कुल के लिये सरकार के हक में दान की थी। जिसमें सरकारी स्कुल का भवन बना है। सरकारी स्कुल के बच्चे पढ रहे है। दावे में प्रतिवादीगण 15 लगायत 33 बयनामा के आधार पर भूमि खरीद कर काबिज है। प्रतिवादीगण अपनी खरीदशुदा उक्त भूमि में दुकाने बनाकर अपना रोजगार चला रहे है। वादीगण ने दावे में कही भी अपने व अपने पूर्वजों की आयु दर्ज नहीं की है। विचारण न्यायालय ने अपने अन्दाज से ही बड़े छोटे भाईयों को पंचपाना से किस तरह जमीने मिला करती थी। इसका आधारहीन निर्णय लिया है। विचारण न्यायालय ने दावा की प्लींडिग को आधार मानकर प्रथम दृष्ट्तया साबित मानने में कानूनी गलती की हैं। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य व प्लीडिंग से वादीगण का दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित माना है लेकिन कोई दस्तावेजात प्रदर्शित नहीं हुए है। मौखिक बयान रिकार्ड नहीं किये। विचारण न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद साबित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर वाद वादी खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण उपस्थित रहें है। निर्धारित 90 दिन की अवधि में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि अनुसार वाद वादी डिक्री किया है। दावा के साथ मिसल हकियत सम्वत 1999, गत खसरा नम्बर 814 की पेश की है जिसमें श्योलाल के पुत्र बृजलाल का नाम अंकित है। उक्त बृजलाल अपने भाई दुर्गादत व चिंरजीलाल से बड़ा था। दावा में वर्णित अनुसार उक्त जमीन ठिकाना पंचपाना के पानेदार नाहरसिंह की जमीन थी। उक्त श्योलाल नाहरसिंह का पुरोहित ब्राह्मण होना दस्तावेजों से साबित है तथा जमाबन्दी सम्वत 2012 में बृजलाल का नाम श्योलाल का बड़ा पुत्र होने से दर्ज है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

ईशर पुत्र मोती कुम्हार के नाम से जमीन क्यों दर्ज हुई दस्तावेज में कही उल्लेख नहीं है तथा बाद में ईशर के वारीसान के नाम भी गलत दर्ज हुई उक्त सम्पुर्ण जमीन बृजलाल के अकेले के नाम गलत दर्ज हुई है जबकि उनके साथ साथ चिरंजीलाल व दुर्गादत का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित हुये व ना ही उपस्थित प्रतिवादीगण ने समय पर न्यायालय में जवाब पेश किया। वादीगण ने बही की लिखावट पेश की है। वादी के दावा की प्लीडिंग के मुताबिक एवं दस्तावेजो के मुताबिक दावा प्राईमाफेशी साबित होता है। वादी राजेश ने मौखिक निवेदन किया कि चिरंजीलाल हनुमानप्रसाद के गोद चला गया था एवं हनुमानप्रसाद के देहान्त होने पर उसकी जमीन प्राप्त की है। वादी ने निवेदन किया कि उक्त जमीन में 1/2 हक हिस्सा रिछपाल के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 35 से 38 का है तथा 1/4 हक हिस्सा वादीगण नम्बर 1 से 3 व प्रतिवादीया नम्बर 39 का है तथा शेष 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 40 से 45 का संयुक्त रूप से है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं दावा की प्लींडिग के अनुसार एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने के कारण वाद वादी डिक्री करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि मुतवादिया हाल खसरा नम्बर 3174 लगायत 3182 कस्बा झुन्झुनू की घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रतिवादीगण 35, 36, 37 ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी मोहनी देवी वगैरह बनाम मंगलचन्द वगैरह मु.नं. 264/2013 प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें तारीख पेशी 20.06.2016 नियत है। उक्त दावा में प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

वादीगण प्रदीप वगैरह तथा पुर्व प्रस्तुत दावा मोहनी देवी वगैरह अपने पुर्वज तथाकथित श्योलाल की खातेदारी की भूमि के कथन के साथ अलग–अलग दावा पेश किये है। विचारण न्यायालय ने वादीगण की साक्ष्य रिकार्ड नहीं की विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 5 (1) सी.पी.सी के तहत पक्षकारों को अपने अधिकार बाबत सूचना नहीं दी है। विचारण न्यायालय के समक्ष वकील उपस्थित नही हो रहे थे। विचारण न्यायालय सभी पत्राावलियों के फर्द अहकाम पर स्टाम्प लगाकर तारीख पेशी बदली जा रही थी लेकिन विचारण न्यायालय ने पत्रावली बिना अपीलार्थीगण को नजदीक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पर सुने बगेर पत्रावली में निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने दावे की प्लीडिंग को ही साक्ष्य मानकर वादीगण का दावा डिक्री कर दिया जबकि दावे की प्लीडिंग के अनुसार वादीगण की और से कही कोई मौखिक व कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादीगण ने दावे में कही भी सम्वत 1999 से सम्वत 2012 तक कभी भी भूमि काश्त नही की। वादीगण का न तो कभी जमाबन्दी में नाम आया न उनके हक में कोई खसरा गिरदावरी बनी। वादीगण कथित पूर्वज श्योलाल चौथी पीढ़ी में आते है। दावे में कुल प्लींडिग दावे के कथन बाबत उन्होंने कोई भी आधार पत्रावली पर पेश नहीं किया है। वादीगण प्रतिवादीगण/अपीलान्ट के विवाद ग्रस्त भूमि में कुए व विद्युत कनेक्शन व मकानात व कब्जा होना स्वीकार करते है। प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि स्कुल के लिये सरकार के हक में दान की थी। जिसमें सरकारी स्कुल का भवन बना है। सरकारी स्कुल के बच्चे पढ रहे है। दावे में प्रतिवादीगण 15 लगायत 33 बयनामा के आधार पर भूमि खरीद कर काबिज है। प्रतिवादीगण अपनी खरीदशुदा उक्त भूमि में दुकाने बनाकर अपना रोजगार चला रहे है। विचारण न्यायालय ने अपने अन्दाज से ही बड़े छोटे भाईयों को पंचपाना से किस तरह जमीने मिला करती थी। इसका आधारहीन निर्णय लिया है। विचारण न्यायालय ने दावा की प्लींडिग को आधार मानकर प्रथम दृष्ट्तया साबित मानने में विधिक त्रुटि की हैं। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य व प्लीडिंग से वादीगण का दावा डिक्री किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाना न्यायोचित माना है लेकिन कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुए है । मौखिक बयान रिकार्ड नहीं किये गये है । विचारण न्यायलय में साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद साबित नहीं है । इसके उपरांत भी विचारण न्यायलय ये विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर विधिक त्रुटी की है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपिलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की अपिलांट का जवाबदावा प्राप्त कर, तनकियात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचरण न्यायालय के समक्ष दि.30-08-2024 को उपस्थिति देवें ।

29.7.24

(बलदेवराम धोजक)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर